

36/37

By Speed Post/RTI MATTER

No. VI.23014/132/2013-VS
Government of India
Ministry of Home Affairs
(PP Division)

NDCC-II Building, 3rd Floor,
Jai Singh Road,
New Delhi-110001, dated: 29th May, 2013.

To

Shri Deepak Rawat,
37A/IC/5C, Phoolbagh
Madhu Nagar,
Agra-282001 (UP).

Subject:- Application under the RTI Act-2005-reg.

Sir,

Please refer to your RTI application dated 15.04.2013 received in this unit on transfer on 03.05.2013.

2. Point wise reply to your queries is as under:-


Point Nos.

(1), (3), (4)

and (9):

In this regard it may be stated that primarily the responsibility for providing security to an individual, including MPs /MLAs, is of the State Government concerned, in whose jurisdiction an individual, (including a MP/MLA) is ordinarily resident. Security, if any, is provided only on the basis of comprehensive assessment of threat by security agencies. Details of security provided, including categorization, reasons for providing security, names of individuals having security, etc. are exempt under sections 8 (1) (g) and 24 (1) of the RTI Act, 2005. However, you may consider approaching the CPIO, of the State Government concerned, for any information that they may have in this regard.

Point No. (2): As already stated, responsibility of providing security to individuals, including Members of Parliament, is primarily that of the State Government concerned, No Centralized list of MPs having any particular category of security, is maintained in this unit. However, you may consider approaching the CPIOs of the State Governments concerned, for any information that may have.



Point Nos.


(5),(6)and(7): Security of appropriate category may be provided to individual only after comprehensive assessment of threat by the security agencies. Such security is governed by laid- down instructions/guidelines. Further details in this regard are exempt under section 24 (1) of the RTI Act, 2005.

Point No. (8)

It is reiterated that responsibility for providing security is primarily that of the State Government/ State Police concerned. You may approach the CPIO of the State Government/ State Police for any information that they may have in this regard.

3. An appeal if any, against this reply may be made within 30 days to Shri Lokesh Jha, Joint Secretary (PP) & Appellate Authority, Ministry of Home Affairs, 3rd Floor, NDCC-II Building, Jai Singh Road, New Delhi-110003.

Yours faithfully,


(Girish Kumar)
Director (VS) & CPIO
Tele: 011-23438120

Copy to: Shri Sanjay Mitra, Under Secretary, RTI Cell, MHA, North Block, New Delhi w.r.t. OM No.A-43020/01/2013-RTI dated 30.04.2013.



श्रीमान,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न सूचना देने का कष्ट करे।

महोदय,


मांगी जाने वाली सूचना निम्न प्रकार है।

- 1- यह है कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुरसीकरी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद श्रीमति सीमा उपाध्याय को क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। यदि हाँ तो किस कारण जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।
- 2- यह है कि देश के कितने सांसदों को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है।
- 3- यह है कि सांसद सीमा उपाध्याय को जेड श्रेणी की सुरक्षा गृह विभाग दिल्ली से प्राप्त है या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई है।
- 4- यह है कि उत्तर प्रदेश से निर्वाचित बहुजन समाज पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री श्रीमान रामवीर उपाध्याय को भी गृह विभाग दिल्ली द्वारा जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। या उत्तर प्रदेश स्तर पर दी गई है। यदि हाँ तो श्रीमान रामवीर उपाध्याय जी ने सुरक्षा लेते वक्त क्या कारण दर्शाया है। कृपा लिखित में उल्लेख कर जवाब दे।
- 5- यह है कि सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी यदि सांसद/ विधायक की सुरक्षा में लगाए जाते हैं। तो वह किस श्रेणी में लगाए जाते हैं। अर्थात् उसे कौन सी श्रेणी कहते हैं।
- 6- यह है कि यदि वर्तमान में पति निर्वाचित विधायक (पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं) हैं और पत्नी वर्तमान में निर्वाचित सांसद हैं। तथा पति को जेड श्रेणी में सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी प्राप्त हैं तो क्या पत्नी अपने साथ उक्त सुरक्षाकर्मी को अपनी सुरक्षा हेतु अपने साथ लेकर चल सकती हैं। जबकि सुरक्षा प्राप्त पति राज्य से बाहर हो।
- 7- यह है कि जेड श्रेणी सुरक्षा में कितने सुरक्षा कर्मी प्रदान किए जाते हैं। दिन एवं रात सहित विवरण बताएं।
- 8- यह है कि सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत उक्त 7 बिन्दुओं का जवाब गृह विभाग, दिल्ली के अन्तर्गत नहीं आता है। तो कृपा पते सहित लिखित में अवगत कराएं कि उक्त सभी प्रश्नों का उत्तर दिल्ली के किस मंत्रालय अथवा राज्य से प्राप्त किया जा सकता है।
- 9- यह कि यदि निर्वाचित विधायक (पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं) श्रीमान रामवीर उपाध्याय को जो सीआईएसएफ के सुरक्षाकर्मी प्राप्त हैं वो जिस कारण से लिए गए हैं। उन्होंने सुरक्षाकर्मी लेने से पहले जो प्रार्थना पत्र विभाग को या उत्तर प्रदेश को दिया है। उसकी छायाप्रति की एक कापी उपलब्ध कराई जाए।

अतः श्रीमान जी उपरोक्त सभी 9 बिन्दुओं का उत्तर लिखित में पत्रांक का दिनांक से 30 दिनों के अन्दर देने की कृपा करें। श्रीमान जी आपकी अति कृपा होगी। सम्बन्धित पत्र के साथ भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या : 17 एफ 705078 दिनांक 16/04/2013 नामित श्रीमान जनसूचना अधिकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001 के नाम से संगलन कर भेज रहे हैं।

धन्यवाद

प्रार्थी


दीपक रावत

(सम्पादक)

साप्ताहिक, जनलोक खबर

मधुनगर, आगरा।

मौ०- 9690070150, फ़ैक्स : 0562- 2410055

ईमेल : rawat.rajexpress@gmail.com